वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1982

सा० का० नि० 823.—वित्त मंत्रालय, आर्थिक विभाग की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 662(अ) जो 17 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (i) के पृष्ठ संख्या 1891 से 1896 में प्रकाशित की गई थी, का

शुद्धि पत्र

क्रम संख्या	पैरा संख्या	उप-पैरा संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	8	3	3	एक रुपया	दो रुपया

[फा० सं० 7/2/82-एनएस]

प्रभात लाल मुली, अवर सचिव

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1982

सा० का० नि० 824.—खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, खनिज रियायत नियम, 1960 में और आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :-

1 (i) ये नियम खनिज रियायत (द्वितीय संशोधन) नियम, 1982 कहलाएंगे ।

(ii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू माने जाएंगे ।

2. खनिज रियायत नियम, 1960 में :—

(i) नियम 64 ए, में "दस प्रतिशत" शब्दों के लिए "15 प्रतिशत" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे" ।

(ii) फार्म 'के' के भाग 6 की धारा 3 में शब्द "दस प्रतिशत" के स्थान पर" 15 प्रतिशत" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

टिप्पणी :—

(1) मुख्य नियम भारत के राजपत्र के भाग 2 खण्ड 3, उपखण्ड (i) में अधिसूचना संख्या 1(20)/73-खान 6 दिनांक 22/7/-1976, सा०का० नि० 1164 दिनांक 7-8-1976 के अन्तर्गत प्रकाशित हुए थे ।

(ii) फार्म 'के' में भाग 6 धारा 3 को दिनांक 25-5-1974 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 309 द्वारा संशोधित किया गया तथा बाद में दिनांक 7-8-1976 की अधिसूचना संख्या सा का० नि० 1164 द्वारा संशोधित किया गया ।

[फाइल संख्या 7(1)/82-खान-6]

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

New Delhi, the 4th September, 1982

G.S.R. 824.—In exercise of powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957) the Central Government makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely :—

(i) These rules may be called the Mineral Concession (Amendment) Rules, 1982;

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960 :—

(i) in rule 64A, for the words "ten per cetn", the words "fifteen per cent' shall be substituted;

(ii) in Form K, in Part VI, in clause 3, for the words "ten percent" the words "fifteen per cent" shall be substituted.

Note :—

(i) Principal rule published vide notification No. 1(20)/73-M-VI dated 22-7-1976; G.S.R. 1164 dated 7th August, 1976; Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i).

(ii) Clause 3 Part VI in Form K amended vide notification No. G.S.R. No. 509 dated the 25th May, 1974 and subsequently amended by Notification G.S.R. No. 1164 dated the 7th August, 1976.

[File No. 7(1)/82-M-VI]

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1982

सा० का० नि० 825.—यत: केन्द्रीय सरकार की राय में, भारत में खनिजों के संरक्षण और विकास के लिए यह आवश्यक है कि निम्नलिखित सारणी के कालम (2) में उल्लिखित पट्टाधारी क्षेत्रों में या उसके अंतर्गत उपलब्ध किसी खनिज के बारे में यथा संभव सही जानकारी एकत्र की जाए ।

तथा यत: उक्त क्षेत्रों के संबंध में खनन पट्टे आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा मंजूर किए गए हैं ।

अत: अत:, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 18ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार के परामर्श से, जैसा कि उक्त धारा 18ए की उपधारा (1) के परन्तुक में अपेक्षित है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को, उक्त सारणी में उल्लिखित क्षेत्रों में, ऐसी जानकारी जो आवश्यक हो, प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यापक अन्वेषण कार्य किए जाने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है ।

सारणी

पट्टाधारी का नाम	पट्टाधारी क्षेत्रों का ब्यौरा
(1)	(2)
(1) गजेलाकोंडा बैराइट्स मै० टिफिन्स बैराइट्स, एसबेस्टस एंड पेन्टस लि०, पुलिवेंदला, जिला कुडापेह, आन्ध्र प्रदेश ।	417/2 और 3, 411/2 तथा 411 जो क्रमश: 97.44 एकड़, 2.23 एकड़ तथा 6.75 एकड़ क्षेत्र से संबंधित हैं ।
(2) मिरमपेटा मिकासियस हेमाटाइट के० एस० अब्दुल शुकूर, 5/22 कागितालापेन्टा, कुडापेह, आन्ध्र प्रदेश	175/2 और 5 तथा 176 जो 14.61 एकड़ से संबंधित है ।